



प्रेस विज्ञप्ति

10-12-2025

ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फ़ेमा), 1999 की धारा 37ए के अंतर्गत मेसर्स रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर-इंफ्रा) की ₹54.82 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ जब्त कीं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष कार्य बल, मुख्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फ़ेमा), 1999 की धारा 37ए के अंतर्गत मेसर्स रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 13 बैंक खातों को, जिनमें ₹54.82 करोड़ की राशि शेष थी, फ़ेमा की धारा 4 के तहत किए गए उल्लंघनों के लिए जब्त किया है।

ईडी की जांच से यह तथ्य सामने आया कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) के जरिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रदत्त सार्वजनिक धनराशि की हेराफेरी की। धनराशि को काल्पनिक उप-ठेका व्यवस्थाओं के बहाने मुंबई स्थित फर्जी कंपनियों में स्थानांतरित किया गया। ये फर्जी संस्थाएँ मुंबई के विशिष्ट बैंक शाखाओं में छद्म निदेशकों का उपयोग करके समन्वित तरीके से स्थापित की गई थीं।

धनराशि को बाद में अन्य फर्जी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से छिपाया (लेयर) गया और इस धन को किसी सममूल्यक माल या दस्तावेज़ की प्राप्ति के बिना ही तराशे हुए और गैर तराशे हुए हीरों के आयात के नाम पर भारत से बाहर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में प्रेषित (रेमिट) कर दिया गया। जिन यूएई संस्थाओं को धन प्रेषित किया गया, उनके बैंक खाते यूएई तथा हांगकांग दोनों में थे। पाया गया कि ये संस्थाएँ अवैध अंतरराष्ट्रीय हवाला में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित थीं। जिन फर्जी संस्थाओं के माध्यम से धनराशि की हेराफेरी की गई, वे ₹600 करोड़ से अधिक के अंतरराष्ट्रीय हवाला लेनदेन में संलिप्त पाई गई हैं।

परियोजना धनराशि के विपथन (डायवर्जन) से प्रभावित एसपीवी में गंभीर वित्तीय तनाव उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में परिवर्तित हो गए, जिससे ऋणदाताओं को क्षति हुई तथा सार्वजनिक वित्तीय हित प्रभावित हुए।

आगे की जांच प्रगति पर है।